

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग  
शुद्धि-पत्र

पटना, दिनांक.....

सं०सं०-05/स्था०(डी०टी०ओ०)-30/2013(छाया संचिका)...../परिवहन विभाग, बिहार,  
पटना की अधिसूचना संख्या-934 दिनांक 16.02.2014 के क्रमांक-2 पर उल्लिखित "डॉ० जवाहर लाल" के  
बदले "डॉ० जवाहर लाल सिन्हा" पढ़ा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

प्रधान सचिव-सह-  
राज्य-परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था०(डी०टी०ओ०)-30/2013(छाया संचिका)-

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के अगले अंक में  
प्रकाशनार्थ पाँच(5) अतिरिक्त प्रतियों (सी०डी० सहित) प्रेषित।

ह०/-

प्रधान सचिव-सह-  
राज्य-परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था०(डी०टी०ओ०)-30/2013(छाया संचिका)- 4405 पटना, दिनांक. 12/08/2014

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त  
सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार  
पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा/भागलपुर/जिला पदाधिकारी,  
समस्तीपुर/भागलपुर/सभी संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला  
परिवहन पदाधिकारी/उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा कोषांग) विभाग, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार  
पदाधिकारी/सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक सभी नवपदस्थापित पदाधिकारी/  
आई०टी० मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, पटना/परिवहन विभाग के सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव-सह-

राज्य-परिवहन आयुक्त,  
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।